Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान समक्ष सदस्य, राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र.

निगरानी प्रक.क्र. निगरानी 2072-I-15 सन्

चन्द्र भूषण शुक्ला तनय पं. सरस्वती प्रसाद शुक्ला उम्र 55 वर्ष निवासी पन्ना रोड पंचवटी ढावा के सामने छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र. ....निगरानी कर्ता

विरूद्ध

1. अलख प्रकाश तनय स्व पं. सरस्वती प्रसाद शुक्ला नि.सर्किट हाउस के पीछे अजीत चौधरी एडवोकेट के बगल में जिला छतरपुर म.प्र. के छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र.
2. शासन म.प्र. ....गैर निगरानीकर्ता

क्रमांक 5897 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक..........को प्राप्त क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.संहिता के तहत निगरानी आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 25/अ–12/2014–15 आदेश दिनांक 18.02.2015 से दुःखी होकर।

महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता सादर निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है।

निगरानी का संक्षिप्त विवरण :– इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 01 ने भूमि खसरा नंबर 3383/3 , 3384, 3385, 3396 कुल किता 04 स्थित मौजा छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय एवं हल्का पटवारी द्वारा सरहदी कास्तकारों को कोई भी सूचना पत्र सीमांकन का जारी नहीं किया गया है। उक्त सीमांकन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा चोरी छिपे नियम प्रक्रिया के विपरीत किया गया है पंचनामा दिनांक 04.01.15 पर निगरानीकर्ता के कोई हस्ताक्षर नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.01.15 को सीमांकन में आपत्ति प्रस्तुत की गयी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति आवेदन पत्र पर विवेकपूर्ण गंभीरता से विचार नहीं किया गया है कि उक्त सीमांकन एवं तरमीम से सहखातेदार एवं सरहददी कृषकों को क्या लाभ या हानि है। जिन खसरा नंबरों का सीमांकन किया गया है वह निगरानीकर्ता के खसरा नंबरों से लगी हुये खसरा नंबर फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सूचना दिये उक्त दूषित आदेश 18.02.15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2072-एक/2015 जिला छतरपुर चंद्रभूषण विरूद्ध अलख व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार तहसील छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 25/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 18-02-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 6. उभय पक्ष अभिभाषकों को नोट कराया जाये । 3 06/2/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	